

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सी.सी.एल. प्रबंधन के साथ दिनांक 03-02-2016 को हुई बैठक का कार्यवाही प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा डॉ. पी.एल. पुनिया की अध्यक्षता में सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 03-02-2016 को रांची में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सी.सी.एल., रांची से जुड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दो संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसकी सूची परिशिष्ट-II पर संलग्न है:-

आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों की समस्याओं एवं उनके हित से जुड़े मुद्दों को आयोग के समक्ष रखा गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

महासचिव, सिस्टा, सी.सी.एल. रांची द्वारा आयोग का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया गया:-

1. सी.सी.एल., रांची में अनुसूचित जाति कर्मचारियों/पदाधिकारियों हेतु अलग से शिकायत पंजी का संधारण नहीं किया गया है। सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा समाधान केन्द्र का गठन किया गया है जो सिर्फ सी.सी.एल. मुख्यालय में है। सी.सी.एल. के क्षेत्रीय कार्यालयों में समाधान केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं।
2. सी.सी.एल. द्वारा गठित कल्याण समिति एवं आवास आबंटन समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों(क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
3. सी.सी.एल. परियोजना हेतु विस्थापित परिवारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। विस्थापित परिवार के सदस्यों को पुनर्वास नीति के तहत नौकरी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
4. आवास आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता है।
5. क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु सम्पर्क पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।
6. प्रोन्नति रोस्टर पंजी का संधारण नहीं किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी रोस्टर पंजी का सही ढंग से नियमानुसार संधारण नहीं किया जाता है।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। नियुक्ति/प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. सी.सी.एल. में महिला कर्मियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही है।

